भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 695

10 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी विकास के लिए शहर विशिष्ट आर्थिक विकास परिषदें

695 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने शहरी परिवर्तन के प्रबंधन के लिए शहर-स्तरीय आर्थिक विकास परिषदों (सीईडीसी) की सिफारिश की है, यदि हां, तो क्या सरकार परिषदों की स्थापना करने जा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की है और सरकार की इस संबंध में क्या योजना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शहर स्तरीय आर्थिक विकास परिषद (सीईडीसी) और राष्ट्रीय शहरी क्षेत्रीय शहरी नियोजन प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। सीईडीसी की स्थापना राज्य/यूएलबी के अधिकार क्षेत्र में आती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन है, जो शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में इस मंत्रालय में शहरी और क्षेत्रीय आयोजना के लिए एक अलग राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****